बिहार सरकार
कृषि विभाग

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रित

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के अधीन कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण के प्रयोजनार्थ विभागीय पदाधिकारियों के उपयोग के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु दिनांक 24.05.2017 के 4:00 बजे अपराह्न तक निबंधित संस्थानों / फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 26.05.2017 को 4:00 बजे अपराह्न में निविदा कृषि निदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी।

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों में देना होगा तथा निविदा प्रपत्र कृषि निदेशालय के रोकड़पाल से कार्यालय अवधि में दिनांक 17.05.2017 से 24.05.2017 के 12:00 बजे अपराह्न तक 200 / – रूपये नकद राशि जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए कृषि विभागीय बेवसाईट www.krishi.bih.nic.in देखा जा सकता है। जमानत की राशि 5000 / – रूपये (पाँच हजार) रूपये मात्र एन0एस0सी0 (राष्ट्रीय बचत पत्र) के रूप में कृषि निदेशक, बिहार, पटना के पदनाम से देय हो, तकनीकी निविदा के साथ जमा करना होगा।

17.5.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कृषि विभाग के विभागीय पदाधिकारियों के उपयोग हेतु भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा प्रारूप।

निम्नांकित दर पर कृषि विभाग को वाहन आपूर्ति करने के इच्छुक फर्म/एजेंसी तकनीकी निविदा भर सकते हैं।

(A) वाहन का मासिक दर (ईंधन एवं चालक सहित)			(B) वाहन का स्थानीय दर माँगे जाने पर (ईंधन एवं चालक सहित) लोकल चार्जेज ऑन कॉल बेसिस				(C) वाहन के मुख्यालय से बाहर जाने का दर (ईंधन एवं चालक सहित) आउट स्टेशन चार्जेज ऑन कॉल बेसिस		
वाहन का विवरण	2500 कि०मी०/माह (रू०)	अतिरिक्त कि०मी० (रू०)	वाहन का विवरण	4 घंटे (40 कि०मी०)/(रू०)	8 घंटे (60 कि०मी०)/(रू०)	12 घंटे (80 कि०मी०)/(रू०)	वाहन का विवरण	दर कि०मी० (रू०)	न्यूनतम दर कि०मी०/दिन
टाटा/सूमो/बोलेरो ए०सी० एवं समकक्ष	32500.00	7.00	टाटा/सूमो/बोलेरो ए०सी० एवं समकक्ष	425.00	925.00	1253.00	टाटा/सूमो/बोलेरो ए०सी० एवं समकक्ष	09.45	200 कि०मी०
टाटा/सूमो/बोलेरो नन ए०सी० एवं समकक्ष	30500.00	7.00	टाटा/सूमो/बोलेरो नन ए०सी० एवं समकक्ष	395.00	845.00	1200.00	टाटा/सूमो/बोलेरो नन ए०सी० एवं समकक्ष	08.45	200 कि०मी०
टाटा सफारी/इनोभा ए०सी० एवं समकक्ष	39500.00	11.00	टाटा सफारी/इनोभा ए०सी० एवं समकक्ष	540.00	1180.00	1753.00	टाटा सफारी/इनोभा ए०सी० एवं समकक्ष	12.25	200 कि०मी०
स्कॉर्पियों/टवेरा ए०सी० एवं समकक्ष	36400.00	9.00	स्कॉर्पियों/टवेरा ए०सी० एवं समकक्ष	480.00	1020.00	1553.00	स्कॉर्पियों/टवेरा ए०सी० एवं समकक्ष	10.45	200 कि०मी०

निविदादाता का हस्ताक्षर

वर्ष 2017–18 में विभागीय पदाधिकारियों के उपयोग हेतु भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा की शर्तें।

1. निविदादाता को कम से कम एक वर्ष तक केन्द्र/राज्य सरकार अर्धसरकारी संस्थान, निगम आदि के समान प्रकृति का कार्यानुभव होना अनिवार्य है।
2. फर्म /संस्थान के नाम से कम से कम पाँच वाहनों का बिहार सरकार परिवहन विभाग द्वारा वाणिज्यिक निबंधित होना अनिवार्य है।
3. फर्म/संस्थान का सेवा कर निबंधन अनिवार्य है।
4. फर्म/संस्थान का आयकर लेखा विगत एक वर्ष का विहित प्रपत्रों में निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. गाड़ी अच्छी हालत में होनी चाहिए तथा वाहन 2015 से पुराना नहीं होना चाहिए।
6. वाहन का रख–रखाव ईंधन आदि की जिम्मेवारी फर्म/संस्थान की होगी।
7. वाहन का दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन एवं ड्राईवर को होने वाले क्षतिपूर्ति फर्म/संस्थान की होगी।
8. भाड़े पर वाहन रखने हेतु आवश्यक कागजात की पठनीय छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर निविदादाता को देना होगा।
9. निविदा को बिना सूचना एवं कारण बताए रद्द करने का अधिकार कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सुरक्षित होगा।
10. निविदादाता के उपरोक्त सारे आवश्यक कागजात देना अनिवार्य है, बिना कागजात के निविदा निरस्त समझा जायेगा।
11. वित्तीय निविदा में निर्धारित दर को स्वीकार करने वाले निविदादाताओं के ही तकनीकी निविदा पर विचार किया जायेगा।
12. वाहन सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध कराना होगा।
13. सेवा में टूट होने पर उस दिन की समानुपातिक राशि के अलावे 500/–रूपये (पाँच सौ) रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड राशि की कटौती फर्म/संस्थान के द्वारा दिये गये दावे से की जायेगी।
14. निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र दायर कर प्रमाण पत्र देना होगा कि न्यायालय में उस पर न कोई वाद लंबित है और न ही न्यायालय द्वारा किसी कानून के तहत उसे दण्डित किया गया है तथा निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।
15. वाणिज्य निबंधित गाड़ी उपलब्ध कराना फर्म/संस्था की जिम्मेवारी होगी।
16. जब भी जितनी संख्या में गाड़ी की मांग की जायेगी फर्म/संस्था को उतनी ही संख्या में निर्धारित समय के अन्दर मांग के अनुरूप गाड़ी उपलब्ध कराना होगा।

17.5.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना